www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(सूचना अनुभाग)

5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 01.03.2017

बैंक को 3.34 करोड़ रू. की हानि पहुँचाने पर पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक एवं चार प्राइवेट व्यक्तियों को 14 लाख रू. के जुर्माने सहित दो से तीन वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, चेन्नई ने पंजाब नेशनल बैंक, अड्यार शाखा, चेन्नई के तत्कालीन प्रबन्धक श्री के. वाई. सुब्रमणियन एवं दो प्राइवेट व्यक्तियों, श्री डी. कालैसेलवम् व श्री एन. देवराज को दो वर्ष की कठोर कारावास और दो अन्य व्यक्तियों श्री एस. विजयकुमार तथा श्री रवि को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन व्यक्तियों पर कुल 14 लाख रू. का जुर्माना लगाया गया।

सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय,चेन्नई के वरिष्ठ प्रबन्धक, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक ; पंजाब नेशनल बैंक, अड्यार शाखा, चेन्नई के तत्कालीन प्रबन्धक एवं चेन्नई स्थित विभिन्न प्राइवेट फर्मो के मालिकों के विरूद्ध मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि आरोपी बैंक कर्मियों ने प्राइवेट व्यक्तियों के साथ आपराधिक षड़यंत्र किया एवं उनके द्वारा कपटपूर्ण तरीके से समर्थक जमानत के तौर पर जमा किए गए जाली एवं झूठे दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यथा सावधि ऋण, क्रेडिट सुविधाएं, बिलों में छूट आदि प्राइवेट फर्मो को मंजूर कर दी गई। पंजाब नेशनल बैंक को 3.34 करोड़ रू. (लगभग) की हानि हुई। जॉंच के पश्चात, नामित अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया।

विचारण अदालत ने उक्त आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया एवं पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक को बरी किया। विचारण के दौरान, उक्त बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक की मृत्यु हो गई एवं उनके विरूद्ध आरोपों को हटा लिया गया।

****